संख्या-5883/वन-2-2007-12(67)/2006

प्रेषक,

आर०के० मिश्र

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन

उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 10 जनवरी, 2008

विषय:- अनुदान सं०-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना" (100 प्रतिशत के०पु०) के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि०-610/35-1-बी दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 तथा भारत सरकार के पत्रांक-9/13/2006-सी०एस०/बी०आर० दिनांक 05 सितम्बर, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग की "नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना" योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में रू0 72,86,000/- (रूपये बहत्तर लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि, जिसमें संलग्न आय-व्ययक प्रपत्र-15 के अनुसार रू0 22.69 लाख का पुनर्विनियोग भी सम्मिलित है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

6. उक्त स्वीकृत व्यय भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त स्वीकृति व पत्रांक-9/13/2006-सी०एस०/बी०आर० दिनांक 12 मार्च, 2006 द्वारा गत वर्ष हेतु अनुमोदित कार्यक्रम एवं भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 05 सितम्बर, 2007 में इंगित प्रतिबन्धों अनुसार स्वीकृत मदों/योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-255/ XXVII(1)/2007, दिनांक 26 मार्च, 2007 तथा पत्र संख्या-599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007, द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति /यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाये. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा [illegible] आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर तथा अन्य सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी [illegible] व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग -1 लेखा नियम, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

7. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

8. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्यों तथा मशीनों/कम्प्यूटर आदि के क्रय के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त कर ही व्यय किया जाय.

9. वचनबद्ध मदों के अतिरिक्त उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व गत वर्ष / समय सम्पादित कार्यों के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा चालू वर्ष का वर्क प्लान प्रस्तुत कर पृथक से शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय. शासन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव/योजना के सापेक्ष निर्धारित कार्यों पर ही व्यय किया जाय तथा किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य मद में नहीं किया जाय.

क्रमशः......2

10. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
11. उक्त धनराशि का आहरण भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त यथा आवश्यकता ही किया जाय तथा भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हो जाने की पुष्टि स्वरूप सम्बन्धित विवरण शासन को भी प्रस्तुत कर दिया जाय.
12. क्षेत्र की योजना के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भी वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
14. अवमुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक-2406-वानिकी तथा वन्य जीवन के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण अनुसार सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि रू० हजार में)

योजना का नाम/लेखा शीर्षक	मानक मद	आय-व्ययक प्राविधान	वर्तमान स्वीकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	साझा सीमा			
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	24-वृहत निर्माण	600	600	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन	25-लघु निर्माण	2107	2256	+149पु0
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	500	410	-90पु0
110-वन्य जीवन परिरक्षण				
01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	29-अनुरक्षण	1250	3270	+2020पु0
	42-अन्य व्यय	650	750	+100पु0
0102-नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना				
	योजना का योग	5107	7286	+2179पु0

(वर्तमान स्वीकृति रू० बहत्तर लाख छियासी हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-425(पी) /XXVII-4/2007, दिनांक 07 जनवरी, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-5883(1)/दस-2-2007, तद्दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एव लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.

3. अपर प्रमुख वन संरक्षक(वन्य जीव), उत्तराखण्ड, शिविर कार्यालय, देहरादून.
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
7. निजी सचिव, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन.
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड.
10. जिलाधिकारी, चमोली.
11. कोषाधिकारी, चमोली.
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून
15. गार्ड फाइल (जे).

(ओ०पी० तिवारी)
उप सचिव

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग 2007 - 08 विवरण पत्र   अनुदान संख्या-27   आयोजनागत

नियंत्रक अधिकारी - मुख्य वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड   (धनराशि हजार रू. में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण मानक मद	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित आवश्यक धनराशि	अवशेष (समर्पणीय) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीव परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें **0102-नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व की स्थापना** 26-मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र 0103-प्रोजेक्ट एलीफेण्ट 24-वृहत् निर्माण कार्य	0	410	50	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीव परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें **0102-नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व की स्थापना** 25-लघु निर्माण कार्य 2107 29-अनुरक्षण 1250 42-अन्य व्यय 650	2256 3270 750		क-आवश्यकता न होने के कारण बचत ख-अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक
13644	0	11465	2179			11465	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है.

(आर0के0 मिश्र)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4
संख्या-425(1)/XXVII-4/2007 दिनांक 07 जनवरी, 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत.

सेवा में,
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,
सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.

(एम0सी0जोशी)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या-5883(2)/वन-2-2007-12(67)/2006, दिनांक जनवरी, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
2- मुख्य वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
4- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

(आर0के0 मिश्र)
अपर सचिव